

रिपोर्ट पटवारी विहरी तहसील कुराबड जिला उदयपुर

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंतिम तथ्य राही है। ग्राम विहरी  
संख्या 387 मे प्रार्थी का नाम गोतम पिता मंगना दर्ज है,  
प्रार्थी के नाम सरकारी दरतायेजो मे राही नाम गोट पिता मंगना दर्ज है। खाते  
नाम प्रार्थी के नाम का विकृत रूप/अपघण है। अतः ग्राम विहरी की खाता  
37 मे दर्ज नाम गोतम पिता मंगना को बजाय सही इन्द्राज गोट पिता मंगना  
दर्ज किया जाना उचित है।

भू अभिलेख निरीक्षक  
जि

पटवारी  
पटवारी कुराबड  
तहसील कुराबड जिला-उदयपुर

कार्यालय तहसीलदार कुराबड जिला उदयपुर

भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार ग्राम विहरी  
की जमाबन्दी की खाता संख्या 387 मे दर्ज नाम गोतम पिता मंगना  
के बजाय सही नाम गोट पिता मंगना दर्ज किया जाना  
है।

तहसीलदार-कुराबड  
तहसीलदार सेमारी कुराबड

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिरवा जिला उदयपुर

-243/2025 क्रमांक/4026

दिनांक 31/12/25

::आदेश::

क्रमांक-30/12/25  
क्रमांक-31/12/25 प्रार्थी के प्रार्थना एवं तहसीलदार कुराबड की रिपोर्ट एवं सलग्न  
तावेजों के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम विहरी  
विहरी की जमाबन्दी की खाता संख्या 387 मे दर्ज नाम/इन्द्राज...  
गोतम पिता मंगना के बजाय सही नाम/इन्द्राज गोट पिता मंगना  
दर्ज करने की स्वीकृती प्रदान की जाती है। तहसीलदार कुराबड आदेशानुसार  
राजस्व रिकार्ड मे अगल दरामद कर पालना करे।

उपखण्ड अधिकारी  
गिरवा, उदयपुर